



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025 / 194

दर्ज तिथि:-22.05.2025

1. शंकरसिंह पुत्र रावतसिंह
जाति राजपुत निवासी जीवाणियों की ढाणी पटवार मण्डल बारासण तहसील गुड़ामालानी
.....वादी

बनाम

1. आलमसिंह पुत्र विरधसिंह
2. उकसिंह पुत्र जगसिंह
3. श्रवणसिंह पुत्र जगसिंह
4. करनसिंह पुत्र मुलताना
5. जालमसिंह पुत्र रूगसिंह
6. शांतीदेवी पत्नी रूगसिंह
7. नरपतसिंह पुत्र रूगसिंह
8. भंवरसिंह पुत्र छोगसिंह
9. मांगुसिंह पुत्र छोगसिंह
10. मंगलसिंह पुत्र माना
11. मदनकंवर पत्नी गेबसिंह
12. मिसरसिंह पुत्र हेमसिंह
13. तनसिंह पुत्र हेमसिंह
कौम राजपूत साकिन जीवाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
14. अशोकसिंह पुत्र भेरसिंह
15. गुमानसिंह पुत्र मोडसिंह
16. गुलाबसिंह पुत्र मोडसिंह
17. ताराकंवर पत्नी मोडसिंह
18. गुमानसिंह पुत्र शिवसिंह
19. धोलसिंह पुत्र शिवसिंह
20. मंगलसिंह पुत्र शिवसिंह
21. गोपीकंवर पत्नी शिवसिंह
22. वीरमसिंह पुत्र नैनसिंह
23. गोमती पत्नी नैनसिंह
24. जीतुसिंह पुत्र जबरसिंह
25. पपुकंवर पत्नी जबरसिंह
26. जोधसिंह दत्तक पुत्र बागसिंह

27. नरपतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
28. बलवंतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
29. हड़मतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
30. मांगीदेवी पत्नी अर्जुनसिंह
31. मोहनसिंह पुत्र रावता
32. भेरसिंह पुत्र रावता
33. राणसिंह पुत्र रणजीता
34. लक्ष्मणसिंह पुत्र भेरसिंह

जाति राजपूत साकिन जोधसिंह की ढाणी पटवार मण्डल बारासण तहसील गुड़ामालानी
.....असल प्रतिवादीगण

35. शाखा प्रबंधक आर.एम.जी.बी. शाखा गुड़ामालानी

36. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रतिवादीगण:-श्री सुखराम विश्णोई

श्री प्रागाराम बोगराज

श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

---निर्णय:--

निर्णय तिथि:- 25.05.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 660/7/0.4937 है0, 964/659/0.0851 है0 मौजा जीवाणियों की ढाणी, खसरा संख्या 643/50.6665 है0, 915/643/22.7757 है0, 646/7.1386 है0, 646/1/3.5612 है0, 647/5.8841 है0 मौजा जोधसिंह की ढाणी तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है।
2. तत्पश्चात प्रकरण में दिनांक 04.12.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2026/2148 दिनांक 11.03.2026 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात

रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2026/2148 दिनांक 11.03.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रैजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. <i>- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</i></p>	<p>प्रकरण में दिनांक 29.01.2026 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2932-2966 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 29.01.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2932-2966 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 29.01.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित कुर्रैजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 13 द्वारा उक्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 670/7 में वादी को प्रस्तावित रकबा को खसरा संख्या 646/1 में दी जावे। तत्पश्चात स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित कुर्रैजात रिपोर्ट नियमानुसार तैयार की गई है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 ता 13 की आपत्ति निराधार व बेबुनियाद होने से खारिज की जाती है।
4. प्रकरण में वादीगण की सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072-2075 तथा कुर्रैजात रिपोर्ट एवं कुर्रैजात व नजरी नक्शा पर का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण संयुक्त आराजी खसरा संख्या 660/7/0.4937 है0, 964/659/0.0851 है0 मौजा जीवाणियों की ढाणी, खसरा संख्या 643/50.6665 है0, 915/643/22.

7757 है0, 646 / 7.1386 है0, 646 / 1 / 3.5612 है0, 647 / 5.8841 है0 मौजा जोधसिंह की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा के अनुसार उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।

3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक-पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं 660/7/0.4937 है0, 964/659/0.0851 है0 मौजा जीवाणियों की ढाणी, खसरा संख्या 643/50.6665 है0, 915/643/22.7757 है0, 646/7.1386 है0, 646/1/3.5612 है0, 647/5.8841 है0 मौजा जोधसिंह की ढाणी तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तथा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम

करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
शंकरसिंह वल्द रावतसिंह कौमा राजपुत सा0 देह खातेदार	पूर्ण	जोधसिंह की ढाणी	643	0.9430 है0	बा0दो0
			643	0.9599 है0	बा0दो0
			643	0.5973 है0	बा0दो0
			646 / 1	0.2377 है0	बा0दो0
		647	0.1307 है0	बा0दो0	
		जीवाणियो की ढाणी	660 / 7	0.0128 है0	बा0दो0
कुल किता 6 रकबा 2.8814 है0					
अशोकसिंह पुत्र भैरसिंह	3227 / 704870	जोधसिंह की ढाणी	643	38.4220	बा0दो0
गुमानसिंह पुत्र मोड़सिंह	10487 / 704870				
गुमानसिंह पुत्र शिवसिंह	15729 / 704870				
गुलाबसिंह पुत्र मोड़सिंह	10487 / 704870				
गोपीकंवर पत्नी शिवसिंह	15729 / 704870				
गोमती पत्नी नैनसिंह	15729 / 704870				
जीतूसिंह पुत्र जबरसिंह	15728 / 352435				
जोधसिंह दत्तक पुत्र बागसिंह	176194 / 352435				
ताराकंवर पत्नी मोड़सिंह	10487 / 704870				
धोलसिंह पुत्र शिवसिंह	15729 / 704870				
नरपतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह	3932 / 352435				
पपुकंवर पत्नी जबरसिंह	15728 / 352435				
बलवन्तसिंह पुत्र अर्जुनसिंह	3932 / 352435				
भैरसिंह पुत्र रावता	15728 / 352435				
मंगलसिंह पुत्र शिवसिंह	15729 / 704870				
मांगीदेवी पत्नी अर्जुनसिंह	3932 / 352435				
मोहनसिंह पुत्र रावता	15728 / 352435				
राणसिंह पुत्र रणजिता	62913 / 704870				
लक्ष्मणसिंह पुत्र भैरसिंह	3267 / 704870				
वीरमसिंह पुत्र नैनसिंह	15729 / 704870				
हड़मतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह	3932 / 352435				
कौम राजपुत सा0 देह खातेदार राहिन गुमानसिंह पुत्र मोड़सिंह वगैरह बदस्तूर जमाबंदी			915 / 643	22.4193 है0	बा0दो0
			915 / 643	0.3359 है0	बा0दो0
कुल किता 6 रकबा 70.4870 है0					
आलमसिंह पुत्र विरधसिंह	2764 / 32431	जोधसिंह	646	7.1386 है0	बा0दो0
उकसिंह पुत्र जगसिंह	1382 / 32431	की ढाणी	646 / 1	3.3235 है0	बा0दो0

करनसिंह पुत्र मुल्ताना	2764 / 32431		647	5.7534 है०	बा०दो०
जालमसिंह पुत्र रूगसिंह	6142 / 162155				
तनसिंह पुत्र हेमसिंह	5528 / 32431				
नरपतसिंह पुत्र रूगसिंह	6142 / 162155				
भंवरसिंह पुत्र छोगसिंह	1382 / 32431				
मंगलसिंह पुत्र माना	18427 / 162155				
मदन कंवर पुत्री गेबसिंह	2106 / 23165				
मांगूसिंह पुत्र छोगसिंह	1382 / 32431				
मिसरसिंह पुत्र हेमसिंह	5528 / 32431				
श्रवणसिंह पुत्र जगसिंह	1382 / 32431				
शांतीदेवी पत्नी रूगसिंह	6142 / 162155				
कुल किता 3 रकबा 16.2155 है०					
आलमसिंह पुत्र विरधसिंह	241 / 2830				
उकसिंह पुत्र जगसिंह	241 / 5660				
करनसिंह पुत्र मुल्ताना	241 / 2830				
जालमसिंह पुत्र रूगसिंह	43 / 1132				
तनसिंह पुत्र हेमसिंह	193 / 1132				
नरपतसिंह पुत्र रूगसिंह	43 / 1132				
भंवरसिंह पुत्र छोगसिंह	241 / 5660	जीवाणियों की ढाणी	660 / 7 964 / 659	0.4809 है० 0.0851 है०	बा०दो० गै०मु०
मंगलसिंह पुत्र माना	643 / 5660				
मदनकंवर पुत्री गेबसिंह	257 / 2830				
मांगूसिंह पुत्र छोगसिंह	241 / 5660				
मिसरसिंह पुत्र हेमसिंह	193 / 1132				
श्रवणसिंह पुत्र जगसिंह	241 / 5660				
शांतीदेवी पत्नी रूगसिंह	43 / 1132				
कुल किता 2 रकबा 0.5660 है०					
गैर मुमकिन रास्ता	—	जोधसिंह की ढाणी	643	0.4345 है०	बा०दो०
			915 / 643	0.0205 है०	बा०दो०
कुल किता 2 रकबा 0.4550 है०					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन

कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में
रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

कुर्रेजात व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार
की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो।
पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त
जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुड़ामालानी





न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025 / 194

दर्ज तिथि:-22.05.2025

1. शंकरसिंह पुत्र रावतसिंह
जाति राजपूत निवासी जीवाणियों की ढाणी पटवार मण्डल बारासण तहसील गुड़ामालानी
.....वादी

1. आलमसिंह पुत्र विरधसिंह
2. उकसिंह पुत्र जगसिंह
3. श्रवणसिंह पुत्र जगसिंह
4. करनसिंह पुत्र मुलताना
5. जालमसिंह पुत्र रूगसिंह
6. शांतीदेवी पत्नी रूगसिंह
7. नरपतसिंह पुत्र रूगसिंह
8. भंवरसिंह पुत्र छोगसिंह
9. मांगुसिंह पुत्र छोगसिंह
10. मंगलसिंह पुत्र माना
11. मदनकंवर पत्नी गेबसिंह
12. मिसरसिंह पुत्र हेमसिंह
13. तनसिंह पुत्र हेमसिंह

कौम राजपूत साकिन जीवाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

14. अशोकसिंह पुत्र भेरसिंह
15. गुमानसिंह पुत्र मोडसिंह
16. गुलाबसिंह पुत्र मोडसिंह
17. ताराकंवर पत्नी मोडसिंह
18. गुमानसिंह पुत्र शिवसिंह
19. धोलसिंह पुत्र शिवसिंह
20. मंगलसिंह पुत्र शिवसिंह
21. गोपीकंवर पत्नी शिवसिंह
22. वीरमसिंह पुत्र नैनसिंह
23. गोमती पत्नी नैनसिंह
24. जीतुसिंह पुत्र जबरसिंह
25. पपुकंवर पत्नी जबरसिंह

26. जोधसिंह दत्तक पुत्र बागसिंह
27. नरपतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
28. बलवंतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
29. हड़मतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
30. मांगीदेवी पत्नी अर्जुनसिंह
31. मोहनसिंह पुत्र रावता
32. भेरसिंह पुत्र रावता
33. राणसिंह पुत्र रणजीता
34. लक्ष्मणसिंह पुत्र भेरसिंह

जाति राजपूत साकिन जोधसिंह की ढाणी पटवार मण्डल बारासण तहसील गुड़ामालानी
.....असल प्रतिवादीगण

35. शाखा प्रबंधक आर.एम.जी.बी. शाखा गुड़ामालानी

36. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रतिवादीगण:-श्री सुखराम विश्नोई

श्री प्रागाराम बोगराज

श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं 660/7/0.4937 है0, 964/659/0.0851 है0 मौजा जीवाणियों की ढाणी, खसरा संख्या 643/50. 6665 है0, 915/643/22.7757 है0, 646/7. 1386 है0, 646/1/3.5612 है0, 647/5.8841 है0 मौजा जोधसिंह की ढाणी तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तथा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म	
शंकरसिंह वल्द रावतसिंह कौमा राजपुत सा0 देह खातेदार	पूर्ण	जोधसिंह की ढाणी	643	0.9430 है0	बा0दो0	
			643	0.9599 है0	बा0दो0	
			643	0.5973 है0	बा0दो0	
			646 / 1	0.2377 है0	बा0दो0	
		647	0.1307 है0	बा0दो0		
		जीवाणियो की ढाणी	660 / 7	0.0128 है0	बा0दो0	
कुल किता 6 रकबा 2.8814 है0						
अशोकसिंह पुत्र भैरसिंह	3227 / 704870	जोधसिंह की ढाणी				
गुमानसिंह पुत्र मोड़सिंह	10487 / 704870					
गुमानसिंह पुत्र शिवसिंह	15729 / 704870					
गुलाबसिंह पुत्र मोड़सिंह	10487 / 704870					
गोपीकंवर पत्नी शिवसिंह	15729 / 704870					
गोमती पत्नी नैनसिंह	15729 / 704870					
जीतूसिंह पुत्र जबरसिंह	15728 / 352435					
जोधसिंह दत्तक पुत्र बागसिंह	176194 / 352435					
ताराकंवर पत्नी मोड़सिंह	10487 / 704870					
धोलसिंह पुत्र शिवसिंह	15729 / 704870			643	38.4220	बा0दो0
नरपतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह	3932 / 352435			643	1.9134 है0	बा0दो0
पपुकंवर पत्नी जबरसिंह	15728 / 352435			643	3.7239 है0	बा0दो0
बलवन्तसिंह पुत्र अर्जुनसिंह	3932 / 352435			643	3.6725 है0	बा0दो0
भैरसिंह पुत्र रावता	15728 / 352435			915 / 643	22.4193 है0	बा0दो0
मंगलसिंह पुत्र शिवसिंह	15729 / 704870			915 / 643	0.3359 है0	बा0दो0
मांगीदेवी पत्नी अर्जुनसिंह	3932 / 352435					
मोहनसिंह पुत्र रावता	15728 / 352435					
राणसिंह पुत्र रणजिता	62913 / 704870					
लक्ष्मणसिंह पुत्र भैरसिंह	3267 / 704870					
वीरमसिंह पुत्र नैनसिंह	15729 / 704870					
हड़मतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह	3932 / 352435					
कौम राजपुत सा0 देह खातेदार राहिन गुमानसिंह पुत्र मोड़सिंह वगैरह बदस्तूर जमाबंदी						
कुल किता 6 रकबा 70.4870 है0						
आलमसिंह पुत्र विरधसिंह	2764 / 32431	जोधसिंह की ढाणी				
उकसिंह पुत्र जगसिंह	1382 / 32431			646	7.1386 है0	बा0दो0
करनसिंह पुत्र मुल्ताना	2764 / 32431			646 / 1	3.3235 है0	बा0दो0
जालमसिंह पुत्र रूगसिंह	6142 / 162155			647	5.7534 है0	बा0दो0
तनसिंह पुत्र हेमसिंह	5528 / 32431					

नरपतसिंह पुत्र रूगसिंह	6142 / 162155				
भंवरसिंह पुत्र छोगसिंह	1382 / 32431				
मंगलसिंह पुत्र माना	18427 / 162155				
मदन कंवर पुत्री गेबसिंह	2106 / 23165				
मांगूसिंह पुत्र छोगसिंह	1382 / 32431				
मिसरसिंह पुत्र हेमसिंह	5528 / 32431				
श्रवणसिंह पुत्र जगसिंह	1382 / 32431				
शांतीदेवी पत्नी रूगसिंह	6142 / 162155				
कुल किता 3 रकबा 16.2155 है0					
आलमसिंह पुत्र विरधसिंह	241 / 2830				
उकसिंह पुत्र जगसिंह	241 / 5660				
करनसिंह पुत्र मुल्ताना	241 / 2830				
जालमसिंह पुत्र रूगसिंह	43 / 1132				
तनसिंह पुत्र हेमसिंह	193 / 1132				
नरपतसिंह पुत्र रूगसिंह	43 / 1132				
भंवरसिंह पुत्र छोगसिंह	241 / 5660	जीवाणियों की ढाणी	660 / 7 964 / 659	0.4809 है0 0.0851 है0	बा0दो0 गै0मु0
मंगलसिंह पुत्र माना	643 / 5660				
मदनकंवर पुत्री गेबसिंह	257 / 2830				
मांगूसिंह पुत्र छोगसिंह	241 / 5660				
मिसरसिंह पुत्र हेमसिंह	193 / 1132				
श्रवणसिंह पुत्र जगसिंह	241 / 5660				
शांतीदेवी पत्नी रूगसिंह	43 / 1132				
कुल किता 2 रकबा 0.5660 है0					
गैर मुमकिन रास्ता	—	जोधसिंह की ढाणी	643	0.4345 है0	बा0दो0
			915 / 643	0.0205 है0	बा0दो0
कुल किता 2 रकबा 0.4550 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

शंकरसिंह बनाम आलमसिंह

2025 / 194

निर्णय दिनांक:-25.05.2026

कुर्रेजात व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी

